जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी, पीलीभीत।
जन सूचना के अधिकार के अन्तर्गत 16 विन्दुओं पर सूचना

क0सं0	विन्दु	विन्दुवार सूचना
1	अपने संगठन की विशिष्टियॉ, कृत्य और कर्तव्य	विकास खण्डवार ग्रामवार आधार भूत आंकडों का संग्रहण जिसमें ग्राम में स्थित विभिन्न विभागीय सुविधाएं एवं सुविधाओं की ग्रामों से दूरी तथा सांख्यिकीय पत्रिका के विभिन्न 18 सैक्टरों से सम्बन्धित विभागीय आंकडों का वेबसाइट पर कम्प्यूटरीकरण किया जाना । स्थानीय निकायों के आय–व्ययक का आर्थिक वर्गीकरण आय–व्यय , पूंजी व्यय स्वच्छता सेवा एवं रोजगार सम्बन्धी आकडें , चयनित कारखानों के वार्षिक सर्वेक्षण कार्य तथा औद्योगिक उत्पादन सम्बन्धी आंकडें । प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के स्थानीय निकायों के कार्यक्षेत्र में निर्मित हो रहे भवनों के अनु–2 के आकडों का एकत्रीकरण ,25 लाख या इससे अधिक लागत वाली भवन निर्माण परियोजनाओं की अनु–1 के आकडों का एकत्रीकरण ,जनपद के विभिन्न विकास खण्डवार प्रमुख सेंकतकों पर आधारित जनपद नियोजन एटलस , नगरीय भाव / मजदूरी दरें , ग्रामीण भाव / मजदूरी दरें भवन सम्बन्धी आवश्यक वस्तुओं के त्रैमासिक भावों का एकत्रीकरण एवं भाव सूचकांक नेशनल सैम्पिलिंग सर्वेक्षण कार्य । उक्त कार्यो के अतिरिक्त समस्त आंकडों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिये समय–समय पर सत्यापन कार्य किया जाता है । इस के अतिरिक्त जिला योजना ,बीस सूत्री कार्यक्रम तथा डॉ अम्बेडकर ग्राम सभा विकास येाजना की प्रगति रिपोर्ट तैयार किया जाना एवं उनके प्रेषण के साथ–साथ उक्त समस्त कार्यक्रमों से सम्बन्धित विभागीय कार्यो की मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रति माह प्रेषित की जाती है।
2	अपने अधिकारियों/कर्मचारियों की शक्तियॉ एवं कर्तब्य	अधिकारी एवं कर्मचारी राज्य सरकार के अधीन राजकीय एवं शासकीय कार्य सम्पन्न करते है ।
3	विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली, प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है।	जनपद स्तरीय सूचना के सम्बन्ध में जिलाधिकारी के पर्यवेक्षण में जनसूचना अधिकारी का उत्तर दायित्व है ।
4	अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा निर्धारित मापमान	अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यालय के अधिकारी /कर्मचारियों द्वारा शासन द्वारा दिये गये निर्देशानुसार मानक,समय सीमा का पालन करते हुये अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया जाता हैं।
5	अपने नियन्त्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वाहन के लिए प्रयोग किये गये नियम, विनियम अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख।	अर्थ एवं संख्या प्रभाग (मुख्यालय) द्वारा समय– समय पर जारी किये गये निर्देश, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेखों का परिपालन किया जाता है ।
6	ऐसे दस्तावेजों की श्रेणी का विवरण जो उनके द्वारा धारित किये गये है अथवा उनके नियन्त्रण में है ।	अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यालय के सम्बन्धित अधिकारी एवं कर्मचारियो की व्यक्तिगत पत्रावलिंया, सेवा पुस्तिकाये, जी0पी0एफ0पासबुक, अर्थ एवं संख्याधिकारी के नियन्त्रण में रखी जाती है। जनपद स्तर पर केवल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की चरित्र पंजिकायें रखे जाने का प्राविधान है। शेष अराजपत्रित कर्मचारियों की चरित्र पंजिकायें मण्डल स्तर पर उप निदेशक (अर्थ एवं संख्या) के नियन्त्रण में रखी जाती है ।

7	किसी व्यवस्था का विवरण जिसमें उसकी नीति निर्माण अथवा उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में लोक सदस्यों के साथ परामर्श या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है।	जिला योजना समिति जिसमें माननीय जनपद प्रभारी मंत्री / माननीय जनप्रतिनिधि , जिला योजना समिति के निर्वाचित / मनोनीत सदस्य होते है , के द्वारा जिला येाजना का अनुमोदन किया जाता है तथा विकास योजनाओं की त्रैमासिक प्रगति समीक्षा सम्बन्धी बैठक कराये जाने का प्राविधान है ।
8	बोर्ड, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति हो और जिसकी स्थापना इसके भाग के रूप में अथवा इसकी सलाह के प्रयोजन के लिए की गयी हो और यह विवरण की क्या इन वोर्डों परिषदों,समितियों तथा अन्य निकायों की बैठक लोगो के लिए खुली हैं अथवा ऐसी बैठक के कार्यवृत्त लोगो के लिए सुलभ है।	नियोजन विभाग के अन्तर्गत अर्थ एवं संख्या प्रभाग के कार्य कलापों हेतु यह बिन्दु लागू नही है।
9	अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका	अर्थ एवं संख्या प्रभाग के अधिकारियो एवं कर्मचारियो के लिय आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा जाब निर्धारित किया गया है जिसके अनुसार कार्य किया जाता है
10	अपने प्रत्येक अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके विनियमों में यथा उपवन्धित प्रतिकर की प्रणाली संम्मिलित हों।	अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यालय के समस्त अधिकारियो एवं कर्मचारियो को दिये जाने वाले वेतन एवं अन्य सुविधाओं का विवरण कार्यालय में उपलब्ध रहता है।
11	सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिर्पोटों की विशिष्टियॉ उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट।	जनपद स्तर पर केवल भूमि उपयोग परिषद नामक योजना लागू है । जिस पर किये गये व्यय एवं उसके सम्बन्ध में प्राप्त रिपोर्ट का विवरण उपलब्ध है ।
12	सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के व्योरे सम्बन्धित है।	नियोजन विभाग के अन्तर्गत अर्थ एवं संख्या प्रभाग के कार्य कलापों हेतु यह बिन्दु लागू नही है।
13	अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्ति कर्ताओं की विशिष्टियॉ	नियोजन विभाग के अन्तर्गत अर्थ एवं संख्या प्रभाग के कार्य कलापों हेतु यह बिन्दु लागू नही है।
14	किसी इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में व्योरे, जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो ।	जनपद स्तर पर जनपद की सांख्यिकीय पत्रिका , विकास खण्डवार ग्रामवार आधार भूत आंकडें , बीस सूत्री कार्यक्रम की मासिक प्रगति रिपोर्ट इन्टरनेट की वेबसाइट पर उपलब्ध है तथा नेशनल सैंम्पल सर्वे0 , ग्रामीण फुटकर भाव एवं मजदूरी दरें , नगरीय फुटकर भाव एवं मजदूरी दरें , ग्राम्य विकास कार्यो की प्रगति रिपोर्ट , नगरीय उपभोक्ता भाव सूचकांक एवं वेतन का कम्प्यूटरीकरण किया जा चुका है । विभाग के अन्य कार्य यथा वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण , त्रैमासिक आवास सूचकांक , त्रैमासिक औद्योगिक उत्पादन सूचकांक , त्रैमासिक भवन निर्माण सम्बन्धी आवश्यक वस्तुओं के फुटकर भाव तथा विकास खण्ड स्तर की सांख्यिकीय पत्रिका का कम्प्यूटरीकरण प्रस्तावित है

15	सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिको को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियॉ जिसमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के,यदि लोक उपयों के लिए अनुरक्षित है तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं।	नियोजन विभाग के अन्तर्गत अर्थ एवं संख्या प्रभाग के कार्य कलापों हेतु यह बिन्दु लागू नही है।
16	जन सूचना अधिकरियों के नाम पदनाम और अन्य विशिष्टियॉ	नियोजन विभाग के अन्तर्गत अर्थ एवं संख्या प्रभाग में जनपद स्तर पर जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी जनसूचना अधिकारी के रूप में नामित है, जिनके द्वारा जन सामान्य को मागी गयी सूचनायें समय से उपलब्ध करायी जाती है ,जिसके लिये एक पंजिका तैयार की गयी है।

जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी,
पीलीभीत।

शासनादेश संख्या 556/43-2-2008-15/02(3)/2007टीसी दिनांक 06-06-08 का सलग्नंक

कार्यालय का नाम :- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी , पीलीभीत ।

क्रमांक	विभाग तथा विभाग के नियंत्रणाधीन/अधीनस्थकार्यालय /सार्वजनिक निगम/ उपक्रम/ परिषद/बोर्ड/संस्था का नाम	अधिनियम की धारा 4(1) (बी)के अर्न्तगत तैयार कर वेबसाइट पर अपलोड किये गये मैनुअल की संख्या	अवशेष मैनुअल की संख्या	अवशेष मैनुअल पूर्ण करने की तिथि
1	2	3	4	5
1	अर्थ एवं संख्या प्रभाग (अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यालय)	16	0	0

जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी,
पीलीभीत ।